आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 53/2023 ( रिव्यु प्रार्थना पत्र)

विनोद कुमार पाण्डे पुत्र श्री विंध्यालचन्द पाण्डे फ्लेट नं॰ 404 फोर्थ फ्लोर मंगलम कनक रेजीडेन्सी प्लाट नं॰ जी 2, कनक वाटिका, शिवदासपुरा जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

एच डी एफ सी लि॰ सी–25 भगवानदास रोड, सेन्ट जेवीयर स्कूल के सामने, सी–स्कीम जयपुर ।

अप्रार्थी

रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 745/2022 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी एच डी एफ सी लि॰ बनाम विनोद कुमार पाण्डे में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022.

उपस्थितः–

1. श्री अजय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विनोद चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 31.07.2023

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 745/2022 ब उनवानी एच डी एफ सी लि॰ बनाम विनोद कुमार पाण्डे (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002) में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 को रिव्यू किये जाने का अनुरोध किया है।
2. रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति अप्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने को सूचित किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री विनोद चौहान अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 745/2033 ब उनवानी एच डी एफ सी लि॰ बनाम विनोद कुमार पाण्डे पर प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये दिनांक 12.12.2022 को प्रार्थी की अचल सम्पत्ति फ्लेट नं॰ 404 फोर्थ फ्लोर कनक रेजीडेन्सी प्लाट नं॰ जी 2, कनक वाटिका टाउन शिप, टौक रोड राजस्व ग्राम शिवदासपुरा जयपुर का भौतिक कब्जा प्राप्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया । प्रार्थी सन् 2021 में कोविड की वजह से 5 किश्ते चुकाने में असमर्थ रहा है। अप्रार्थी वित्तीय संस्था ने गलत तरीके से प्रार्थी का खाता एन पी ए घोषित किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि किसी को बिना सुने उसके विरूद्व प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है। प्रार्थी को बैंक की ओर से जो नोटिस भेजा गया वह नहीं मिला । प्रार्थी वर्तमान में नियमित रूप से किश्ते अदा कर रहा है। अत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अपार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ऋणियों को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 13 (2) का नोटिस 20.06.2022 को रजिस्टर्ड जारी किया गया है । धारा 14 के तहत पारित आदेश को रिव्यु किये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी मान्य ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष धारा 17 में जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 20.06.2022 को रजिस्टर्ड जारी किया गया है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 14 के तहत पारित आदेश के विरूद्व रिव्यु का अधिनियम में प्रावधान नही है। प्रार्थी धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष चारःजोई करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनाकं 12.12.2022 में किसी प्रकार के पुनर्विचार एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन/रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर